

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल,

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी :-

(A statement of the boards, councils, committees and others bodies consisting of two persons constituted as its part for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.)

तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने तथा इनको और रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन शासन द्वारा किया गया ।

कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का गठन निम्नवत् किया गया है :-

- 1- श्री समीर धवन, उपाध्यक्ष, सारा सर्विसेज एण्ड इंजीनियर्स, देहरादून - उपाध्यक्ष
- 2- श्री दिनेश जैन, नरेन्द्रा एण्ड कं०, देहरादून - सदस्य
- 3- श्री अशोक विण्डलास, विण्डलास बायोटेक लि० - सदस्य
- 4- गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०, देहरादून का एक प्रतिनिधि - सदस्य
- 5- डायरेक्टर जनरल इम्प्लायमेंट एण्ड ट्रेनिंग, भारत सरकार के - एक प्रतिनिधि
- सदस्य
- 6- तकनीकी शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि - सदस्य
- 7- राजकीय पाली०, देहरादून के एक सीनियर फ़ैकल्टी मेम्बर - सदस्य
- 8- राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून के एक छात्र प्रतिनिधि - सदस्य
- 9- कान्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीय (सी०आई०आई०) उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि - सदस्य
- 10- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून - सदस्य सचिव

नोट:- ऐसे बैठकें जनता के लिए खुली नहीं रहेंगी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 8

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की ।

परिषद के कार्यों के संचालन हेतु निम्न समितियां गठित की गयी हैं

प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश समिति :-

- 1- अपर सचिव/संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन,—अध्यक्ष
- 2- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल — सदस्य
- 3- निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि —सदस्य
- 4- राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के दो प्रधानाचार्य रोटेशन द्वारा एक साल के लिए निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा —सदस्य
- 5- संयुक्त सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद —सदस्य
- 6- सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद — सदस्य/सचिव

कार्य:- पालीटेक्निकों में प्रवेश हेतु विवणिका, प्रवेश परीक्षा का आयोजन एवं काउन्सिलिंग से सम्बन्धित कार्यों का आयोजन ।

वित्त समिति -

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन — अध्यक्ष
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड — सदस्य
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन द्वारा नामित अधिकारी(अनुसचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो) — सदस्य
- 4- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखंड । — सदस्य
- 5- सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद — सदस्य/सचिव

कार्य:- (क) परिषद के वार्षिक बजट/पुनर्वियोग की संस्तुति ।

(ख) परिषद के आय-व्यय का अनुमान /लेखा ।

(ग) परिषद को आबंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना ।

(घ) सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा पेश किये गये ड्राफ्ट आडिट पैराओं का निरीक्षण, सुझाव, निस्तारण आदि करवाना ।

परीक्षा समिति :-

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड ।
- 2- निदेशक, (NITTR)चण्डीगढ़ या उनके द्वारा नामिकत अधिकारी
- 3- निदेशक द्वारा नामित राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के पालीटेक्निक के दाक प्रधानाचार्य रोटेशन द्वारा एक क्षेत्र के लिए ।
- 4- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड ।
- 5- सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद

कार्य:- (क) परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था परीक्षाफल की घोषणा की व्यवस्था करना ।

(ख) छात्रों के प्रवेश एवं शैक्षणित योग्यता व छात्रों के स्थानांतरण के नियम एवं विनयम की बोर्ड को संस्तुति ।

(ग) परीक्षा से अनुचित साधन प्रयोग न करने के समुचित उपाय करना एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को उचित दण्ड देना ।

(घ) परीक्षा संबंधी पारिश्रमिक दरों की संस्तुति करना एवं छात्रों के विभिन्न शुल्क निर्धारण की संस्तुति करना ।

निरीक्षण एवं सम्बद्धीकरण समिति :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन — अध्यक्ष
- 2- ए0आई0सी0टी0ई0 का क्षेत्र अधिकारी या उनके द्वारा नामित —सदस्य

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 8

- 3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा नामित एक प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक से - सदस्य
 - 4- अध्यक्ष परिषद द्वारा नामित इंजीनियरिंग कालेज का एक प्रधानाचार्य (रोटेशन द्वारा एक साल के लिए) - सदस्य
 - 5- सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद - सदस्य
 - 6- निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड -सदस्य/सचिव
- कार्य:-** (क) नयी संस्था/पाठ्यक्रमों को एक निश्चित अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करना ।
(ख) पालीटेक्निक संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार करना ।
(ग) संस्थाओं द्वारा वांछित औपचारिकता पूर्ण न कर पाने की दशा में संस्थाओं /पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समाप्त करना आदि ।

शैक्षणिक समिति :-

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड - अध्यक्ष
 - 2- निदेशक(NITTR) चण्डीगढ़ या उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
(जो कि प्रोफेसर से कम रैंक का नहीं हो)
 - 3- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड का एक अधिकारी - सदस्य
(जो विशेष कार्य अधिकारी/अनुसचिव स्तर का हो) सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा नामित
 - 4- राज्य के किसी भी एक इंजी0 कालेज से प्रधानाचार्य, अध्यक्ष -सदस्य
परिषद द्वारा नामित रोटेशन से एक साल के लिए
 - 5- अपर सचिव, उद्योग, उत्तराखंड शासन का प्रतिनिधि -सदस्य
 - 6- निदेशक द्वारा नामित पालीटेक्निक संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य -सदस्य
(रोटेशन द्वारा दो साल के लिए एक राजकीय एवं एक सहायता प्राप्त संस्था से)
 - 7- ए0आई0सी0टी0ई0के क्षेत्रीय अधिकारी या उनके द्वारा -सदस्य
नामित अधिकारी ।
 - 8- अध्यक्ष, परिषद द्वारा नामित उद्योग जगत से दो उद्यमी -सदस्य
 - 9- पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत दो विभागाध्यक्ष - सदस्य
 - 10- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड -सदस्य
- कार्य:-** (क) छात्रों की शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी नीतियों की संतुष्टि करना
(ख) उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनार्थ विभिन्न पाठ्यक्रमों की नवीनतम पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना ।
(ग) संकाय सुदृढीकरण एवं संकाय विकास के कार्यक्रमों की अनुशंसा करना
(घ) विभिन्न विभागों में प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार पदों के सृजन/ समाप्ति हेतु अनुशंसा करना ।
(च) शैक्षणिक कार्य संबंधी नीति विषयक मामला यदि कोई हो, की अनुशंसा करना ।